राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

मिसिल संख्या रा.पि.व.आ./08/01/232-A/2020-केएसपी

एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया के अधिकारीगण के साथ दिनांक 22.07.2021 को हुई सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण -:

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री एम. के. पोद्दार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया
5. श्रीमती एम. राजेश्वरी सिंह, महाप्रबंधक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया
6. श्रीमती नीलम कौर, उप महाप्रबंधक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया
7. डॉ अशोक कुमार यादव, मुख्य संपर्क अधिकारी (ओबीसी), एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. माननीय आयोग द्वारा मुख्य संपर्क अधिकारी से पूछा गया कि आप ओबीसी आरक्षण के बारे में क्या-क्या जानकारी रखते हैं इस संबंध में मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के नियम अनुसार ओबीसी की नियुक्ति में 27% आरक्षण होता है और आयु वर्ग में छूट दी जाती है। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि ओबीसी का क्रीमी-लेयर प्रमाण पत्र बनवाने के लिये कितनी लिमिट है इस संबंध में मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा बताया गया कि उन्हें इस संदर्भ में जानकारी नहीं है माननीय आयोग द्वारा यह जवाब शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
2. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि 27% की भर्ती कैसे की जाती है और रोस्टर रजिस्टर में कौन-कौन से कितने पॉइंट निर्धारित होते हैं इस संबंध में मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा बताया गया कि उन्हें इस संदर्भ में जानकारी नहीं

है माननीय आयोग द्वारा यह जवाब शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

3. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि कंपनी का अनुमोदित रोस्टर रजिस्टर आयोग के समक्ष प्रेषित नहीं करने का क्या कारण है इस संबंध में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि वह रोस्टर रजिस्टर साथ लेकर आयें हैं।
4. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का गठन कब हुआ था इस संबंध में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.12.2002 में एग्रीकल्चर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था।
5. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में जीआईसी के जिन कर्मचारियों एवं अधिकारियों का समावेश किया गया था उनके रिकॉर्ड को कट ऑफ डेट से कैसे मेंटेन किया जाता है तथा इससे संबंधित रिकॉर्ड को माननीय आयोग को प्रेषित करने को कहा गया इस संबंध में एचआर हेड द्वारा बताया गया कि वह सारा रिकॉर्ड देखकर आयोग को उपलब्ध करा देंगे।
6. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2018 में कितनी भर्ती की गई थी इस संबंध में एच आर द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2018 में कुल 45 भर्तियां की गई थी माननीय आयोग द्वारा वर्ष 2018 के विज्ञापन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने को कहा गया।
7. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में रोस्टर रि-कास्टिंग कितनी बार हुई है इस संबंध में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी गण के पास कोई जानकारी नहीं थी।
8. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि वित्त मंत्रालय से आरक्षण के प्रावधान से संबंधित कोई सर्कुलर आया है इस संबंध में एचआर हेड द्वारा बताया गया कि वित्त मंत्रालय से सर्कुलर प्राप्त हुआ है इस संबंध में आयोग ने सर्कुलर की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिए कहा।

9. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का रोस्टर वेबसाइट पर अपलोड हो गया है इस संबंध में एचआर हेड द्वारा बताया गया है कि अभी तक रोस्टर वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है।
10. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी में कोई ओबीसी के महा प्रबंधक है जिसके जवाब में मुख्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि अभी ओबीसी के कोई महाप्रबंधक नहीं है।
11. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी में कोई ओबीसी के महा प्रबंधक है जिसके जवाब में मुख्य प्रबंधक द्वारा बताया गया कि अभी नहीं है। माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि डीएफएस द्वारा रोस्टर रजिस्टर का इंश्पेक्शन हुआ है जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017 को रोस्टर का इंस्पेक्शन हुआ है। माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि वर्ष 2018, 2019 तथा 2020 का इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुआ, जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि कोविड के कारण इंस्पेक्शन नहीं हुआ है।
12. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एनुअल रिपोर्ट में ओबीसी चैप्टर शामिल करने का क्या नियम है जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि एनुअल रिपोर्ट में समरी जाती है। माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि आप शपथ-पत्र पर लिखकर दीजिये कि एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ समरी जाती है और रिप्रिजेंटेशन नहीं जाता है।
13. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि रोस्टर में टैम्परिंग क्यों की गयी है जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि यह टैम्परिंग नहीं की है यह हाइलाइट किया है। जब हम इंस्पेक्शन के लिये गये थे उन्होनें हाईलाईट कराया था।
14. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आपके यहां टेम्परेरी अप्वाइंटमेंट कितने है जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि जब जरूरत होती है तो आउटसोर्स से हायर करते है। आज की दिनांक में 2 टेम्परेरी अप्वाइंटमेंट है। कांट्रेक्ट पर करीब 100 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी अप्वाइंट किये है

हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जरूरत होती है, तो हमने कांट्रेक्ट पर लिये है। आयोग द्वारा कहा गया कि उसका रोस्टर रजिस्टर और विज्ञापन की कापी आयोग को दिखाया जाये।

15. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि रोस्टर रजिस्टर में ओबीसी के लिये 8 नम्बर प्वाइंट निर्धारित है उस पर अनारक्षित वर्ग की नियुक्ति क्यों की गयी है?

16. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि ओबीसी के लिये क्या-क्या स्कीम चलायी जाती है। जिसके जवाब में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि आप आयोग को शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिये कि एग्रीकलचर इंश्योरेंस कंपनी में भारत सरकार द्वारा ओबीसी के लिये कौन-कौन सी स्कीम चलायी जा रही है उसके बारे में नहीं पता है।

(डॉ अशोक कुमार यादव)
मुख्य संपर्क अधिकारी (ओबीसी),
एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया

(श्रीमती नीलम कौर)
उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.),
एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया

(श्रीमती एम. राजेश्वरी सिंह)
महाप्रबंधक (मा.सं.वि.),
एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया

(श्री एम. के. पोद्दार)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग